न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/60/2024	11.09.2024	13.11.2024

1–विक्रम सिंह पुत्र मदनलाल,
2–हनुमान पुत्र मदनलाल
3–संतरा पत्नी मदनलाल जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम गहनकर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1–अनिता पत्नी सांवलराम
2–ज्ञानो पत्नी बबलू
3–बिरजू पुत्र झम्मन
4–सरबती पत्नी बदलू
5–जसवन्त पुत्र झम्मन जातियानगुर्जर निवासीगण ग्राम गहनकर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
6–उपखण्ड अधिकारी तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

असल अप्रार्थीगण

7–उप पंजियक तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
8–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
9–शाखा प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भिण्डूसी तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा(राजस्थान)

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री महेश प्रताप सिंह नरूका –वकील प्रार्थी

02. श्री कुलदीप आहुजा –वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली अनिता बनाम विक्रम वगै0 को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 5 जसवन्त के द्वारा उक्त वाद बअनुवान जसवन्त बनाम विक्रम के अनुवान का वाद पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में असल वादी जसवन्त व प्रतिवादी विक्रम वगै0 के अनुवान से वाद दायर किया गया और वादी जसवन्त के द्वारा उक्त वाद को विड्रो करने का

प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनाक 20.08.2024 को स्वीकार कर दावा विड्रो करने की इजाजत दी गयी। ओर वादी जसवन्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसी दौरान प्रतिवादी/प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 (2) में ट्रांसपोज (पक्षानान्तकरण) का प्रार्थना पत्र पेश किया किया गया जिसको भी उसी दिन न्यायालय द्वारा एक ही आदेश में पक्षकारो को ट्रांसपोज कर वादी की जद में प्रतिवादीया अनीता को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, जबकि अप्रार्थीया अनिता ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के उक्त आराजी में 1/4 भाग ओमकार पुत्र हरिया जाति गुर्जर निवासी गहनकर से खरीद करना बताया है, जो बयनामा वादिया अनीता के द्वारा फर्जी व नुमाईशी तरीके से बिना पैसे दिये धोकाधडी से एवं छलकपटपूर्वक उक्त आराजी का बयनामा दिनाक 09.11.2022 को करा लिया जिस बयनामा को निरस्त कराने हेतु न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 तिजारा की अदालत में मुकदमा संख्या 7/2023 विचाराधीन है, जिससे दिनाक 03.09.2024 नियत थी, तथा न्यायालयवरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 तिजारा के द्वारा दोनो पक्षकारान के अधिवक्ता की उपस्थिति में विवादित जायदाद आराजी खसरा न0 1033 रकबा 0.14 है0 की बाबत रिकॉड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये ताफैसला दावा सहमत होकर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, और रिकॉड की यथास्थिति का आदेश सिविल न्यायालय द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 तिजारा दिया गया है, जिसकी बाबत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 8 को लिखित में मय आदेश न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 तिजारा का मय स्थगन आदेश के पेश कर दिया गया था, लकिन अप्रार्थी संख्या 8 ने उक्त आदेश को नही माना और राजस्व रिकॉड में दिनाक 5.08.2024 को कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार कर अपने अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी व कानूगो के द्वारा न्यायालय की अवमानना करते हुये राजस्व रिकॉड में फेरबदल कर मनमाने तरीके से खसरा न0 1033 के तीन खसरा नम्बर 1033/1, 1033/2, 1033/3 नक्शा ट्रेस काट दिये तथा अप्रार्थी अनिता को लाभ पहुचाने के आशय से समस्त कार्यवाही तहसीलदार ने रिकार्ड में कर दी और विभाजन प्रस्ताव की प्रति अप्रार्थी संख्या 6 को भेज दी। जबकि पूर्व में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 उपखण्ड अधिकारी तिजारा की अदालत में स्थगन आदेश की बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था और तहसीलदार तिजारा अप्रार्थी संख्या 8 ने कानून को ताक पर रखकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार कर प्रार्थीया अनिता से साजबाज होंकर तैयार कर ली। जब प्रार्थी ने काफी भिन्नते की तो बाद में कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर न्यायालय के स्थगन आदेश का नोट अंकित कर दिया ओर रिकार्ड में तब्दीली करके कुर्रे कायमी रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 6 को भेज दी गयी। जो रिपोर्ट सरासर गलत है, व कानून के खिलाफ की गयी है, तथा प्रार्थीया का पति सांवलराम जो कि प्रोपर्टी डीलर का काम करता है और जिसने अप्रार्थी संख्या 6 उपखण्ड अधिकारी तिजारा व तहसीलदार तिजारा अप्रार्थी संख्या 8 व पटवारी हल्का व कानूनगो को अपने प्रभाव में लिया हुआ है, और अप्रार्थी संख्या 6 के समक्ष प्रार्थी ने काफी निवेदन किया व कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 अनीता ने उक्त भूमि को छलकपटपूर्वक धोखाधडी करते हुयें खरीद किया है, न ही मौके पर उसका कब्जा है, और पुनः कुर्रे कायमी रिपोर्ट के लिये प्रार्थीगण ऐतराज पेश करना चाहते है, तो उपखण्ड अधिकारी तिजारा के द्वारा हम प्रार्थीगण को धमकाया गया व कहा कि प्रार्थीया का पति सांवलराम प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसका बंटवारा का दावा मुझे डिक्री करना पडेगा, जबकि मौके पर ना तो हम प्रार्थीगण कुर्रे कायमी रिपोर्ट कायम करते समय बुलाया गया और समस्त कार्यवाही प्रार्थीया अनीता व उसके पति से साजबाज होकर की गयी है, और प्रार्थीया अनीता का पति सांवलराम कई बार उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है, और कई बार तहसीलदार के पास आते जाते देखा है, और अप्रार्थी संख्या 1 के पति सांवलराम ने ऐलानिया धमकिया दी कि आप चाहे जितना जोर लगा लो जो प्रस्ताव तहसीलदार के द्वारा दिनाक 05.08.2024 को पेश कर दिया है, उसे कोई नही मिटा सकता और मैने अपने मन के मुताबिक नक्शा एक्सपर्चा में तितम्बा अपने हिसाब से कटवा लिया है। प्रार्थी ने बार–बार कोर्ट से मौखिक निवेदन किया कि सारी कुर्रे कायमी रिपोर्ट मौका के खिलाफ व हम पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थीया अनिता के पति व उनके मिलने वालो को बुलाकर बिना मौका के कुर्रे कायमी रिपोर्ट गलत तैयार की गयी है, पुनः रिपोर्ट दोनो पक्षकारो के समक्ष रिपोर्ट मंगवाई जावे तो अप्रार्थी संख्या 6 उपखण्ड अधिकारी तिजारा संजीव वर्मा व तहीसीलदार तिजारा अशोक गोरा एक शब्द भी सुनने को तैयार नही है और ऐलानिया धमकिया दी कि हमने जों करना था, वो कर दिया और हम कोई आपकी सुनवाई नही करेगे। अप्रार्थीया अनिता का पति का उॅचे अधिकारियो व नेताओ तक पहुच है। इस लिये यह मुकदमा तो हमको अनिता के पक्ष में ही करना पडेगा और सिविल न्यायालय के स्थगन के आदेश को भी हम नही मानते आपको जो कुछ करना है, वो कर लीजिये कोई कुछ

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते

नही बिगाड सकता। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा छोटी–छोटी तारीख पेशिया नियत की जा रही है, जबकि अन्य काफी मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है, जो काफि पुराने है, जिनमें 2–3 माह की तारीख पेशिया दी जा रही है, लेकिन इस प्रकरण में 5 दिन की तारीख पेशिया नियत की जा रही है। जबकि यह प्रकरण नया है। जिससे भी अप्रार्थी संख्या 6 की नियत व कार्यशैली से वास्तविकता झलकती है। अत: मुन्तकिल पार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 116/2023 बअनुवान अनिता बनाम विक्रम वगै0 को दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा विचाराधीन राजस्व वाद में पूर्व वादी जसवन्त का विद्वा पार्थना पत्र को स्वीकार कर मिन अप्रार्थीया संख्या 1 को आदेश 1 नियम 10 (2) व सपठित धारा 151 जा0 दी0 के तहतकर ट्रांसपोजकरवादीबनायाहै,शेष जिस विविल संख्या 07/2023 का उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा दर्ज किया है, वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है, एवं न ही प्रार्थीगण उक्त वाद में पक्षकार मुकदमा है, लम्बित सिविल वाद दिनाक 26.10.2023 को प्रकरण संख्या 7/2023 की आदेशिका में यह लिखा गया है, कि प्रार्थी औमप्रकाश के अधिवक्ता सी.एल.शर्मा उपस्थित अप्रार्थीगण के अधिवक्ता आशीष कुमार आहुजा उपस्थित उभय पक्ष विवादित जायदाद की मुताबिक रिकार्ड यथास्थिति बनाये रखने पर ताफैसला सहमत है। चूकि उभय पक्ष यथास्थिति बाबत सहमत है, हस्तगत प्रकरण में आदेशित किया जाता है, कि उभय पक्ष ताफैसला मूल वाद विवादित जायदाद जो वाद पत्र में वर्णित है, कि रिकार्ड के अनुसार यथास्थिति बनाये रखेगे। किसी प्रकार से विवादित जायदाद को रहन वहन मुन्तकिल नही करेगे। लम्बित सिविल वाद में दिनाक 22.08.2023 मिन अप्रार्थीया अनिता द्वारा जवाब दावा व जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया और उसके बाद दोनो पक्षकारान की सहमति से दिनाक 26.10.2023 को ताफैसला मूल वाद वाद पत्र में वर्णित विवादित जायदाद के सम्बन्ध में रिकार्ड के अनुसार [redacted]स्थिति बनाये रखने के दोनो पक्षो को पाबन्द किया गया था, एवं मिन अप्रार्थीयान अनिता को पाबन्द किया गया था, कि विवादित जायदाद को रहन बैय आदि से मुन्तकिल न करे। जिस स्थगन आदेश से साफ स्पष्ट है, कि लम्बित सिविल वाद में मात्र मिन अप्रार्थीया अतिता को आराजी रहन–बैय से अवरोधित किया गया है, आराजी के विभाजन बाबत कोई रोक टोक या स्थगन आदेश नही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवान जसवन्त बनाम विक्रम व अन्य दावा तकासमा मय हुक्म ईम्तनाई दवामी जो कि हाल आराजी खसरा न0 1033 रकबा 0.1400 है0 वाके ग्राम गहनकर तहसील तिजारा की बाबत विचाराधीन था जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनाक 09.07.2024 को निर्णय पारित की गयी। जिसमें मिन अप्रार्थीया अनिता पत्नी सांवलराम व अन्य प्रतिवादी की जद में पक्षकार मुकदमा रहे है। प्रारम्भिक डिक्री पारित होंने के बाद दिनाक 15.07.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के पत्र कंमाक 2143 दिनाक 15.07.2024 के अनुसार तहसीलदार तिजारा को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें यह उल्लेख है, कि प्रारम्भिक डिक्री दिनाक 09.07.2024 के अनुसार आराजी की मौके पर कुर्रे कायमी की जाकर रिपोर्ट नियत दिनाक 06.08.2024 से पूर्व फाईल करायी जानी सुनिश्चित करे। उसके बाद तहसीलदार तिजारा ने एक पत्र कंमाक 5046–47 दिनाक 18.07.2024 को कानूनगो व पटवारी हल्का को प्रेषित किया कि प्रकरण में दिनाक 24.07.2024 को मौके पर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार की जानी है, आप रिकार्ड सहित मौके पर उपस्थित आवे। तहसीलदार ने [redacted]यालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के आदेशानुसार व काननगो व हल्का पटवारी ने तहसीलदार तिजारा के आदेशानुसार केवल दिनाक 24.07.2024 को विभाजन प्रस्ताव बनाया है, एवं तहसीलदार तिजारा द्वारा जरिये पत्राक 5422 दिनाक 5.08.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को प्रेषित किया है, कि वाके ग्राम गहनकर खसरा न0 1033 रकबा 0.1400 है0 की कुर्रे कायमी रिपोर्ट मौके पर उपस्थित मौतविरान के समक्ष तैयार की गयी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा विचाराधीन रहे वाद बअनुवान जसवन्त बनाम विक्रम वगै0 मात्र केवल विभाजन का वाद है, विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा न0 1033 के बटे नम्बर अर्थात 1033, 1033/1, 1033/2, 1033/3, बनने है। उक्त विभाजन के अनुसार मिन अप्रार्थीया अनिता अपनी आराजी का कोई बेचान नही कर रही है, तथा विभाजन से वादी औमकार के हितो पर कोई कुठाराधात नही हो रहा है। राजस्व रिकार्ड में मिन अप्रार्थीया अनिता का हिस्सा

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते

खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

उतना ही रहेगा जितना हिस्सा वादी ने उसको बेचान किया है, एवं राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा न0 भी वही रहेगा मिन अप्रार्थीया अनिता ने सिविल न्यायालय के आदेश की कोई अवमानना नही की गयी है। पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा लम्बित वाद में मिन अप्रार्थीया अनिता प्रतिवादी संख्या 3 की जद में पक्षकार मुकदमा थी, एवं वादी जसवन्त पुत्र झम्मनलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था एवं जसवन्त पुत्र झम्मनलाल परस्तुत वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा मिन अप्रार्थीया अनिता के विरूद्व डिक्री किया गया था। ततपश्चात बतौर प्रतिवादी ही मौके की विभाजन रिपोर्ट तैयार की गयी थी, कुर्रे रिपोर्ट आने के बाद जसवन्त पुत्र झम्मनलाल द्वारा वाद विड्रा का प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। चूकि वादी व मिन अप्रार्थीया अनिता को छोडकर शेष प्रतिवादी आपस में साज–बाज रहे है। जिनका उदेश्य मात्र भूमि को उलझाकर मिन अप्रार्थीया अनिता का तंग व परेशान करना रहा है, जिस कारण से ही शेष प्रतिवादीगण के उकसावे व बहकावे में आकर जसवन्त द्वारा वाद विड्रा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया क्योकि मिन अप्राथीया अनिता भूमि का विभाजन अपने कानूनी प्रदत्त काश्तकारी अधिकारो के तहत करवाना चाहती थी तो विधि अनुसार मिन अप्राथीया अनिता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा ट्रासपोजिशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया एवं न्यायालय द्वारा मिन अप्रार्थीया अनिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही कर मिन अप्रार्थीया अनिता को वादी की जद में पक्षकार मुकदमा बना दिया एंव अब वादी के निर्णय को रोकने की नियत से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विक्रम, हनुमान व सन्तरा द्वारा पेश किया गया है। यदि प्रार्थीगण विक्रम, हनुमान व सन्तरा को वर्णित आराजी के विभाजन बाबत कोई ऐतराज था तो प्राथमिक डिक्री पारित होने से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा वाद में अपने उचित ऐतराजात व जवाब पेश करना चाहिये था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा दिनाक 08.06.2023 को प्रार्थीगण विक्रम, हनुमान व सन्तरा जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये व एक वर्ष तक पत्रावली में कोई ऐतराजात व जवाब पेश नही किया व दिनाक 09.07.2024 को इनका जवाब दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के द्वारा बन्द करने के बाद विधि सम्मत तरीके से दावा डिक्री किया गया है, एवं अब कुर्रे रिपोर्ट आ जाने के बाद यदि कोई कुर्रे बाबत ऐंतराज या उज्र है, तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा दिनाक 06.08.2024 से लगातार अवसर प्रदान किये जा रहे परन्तु आदिनाक तक भी किसी प्रकार कोई ऐतराज या उज्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा प्रस्तुत नही किये है। तथा सिधे ही मिथ्या आरोप लगाकर न्यायालय के समक्ष यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विक्रम, हनुमान व सन्तरा द्वारा पेश किया गया है। लम्बित सिविल वाद जो प्रार्थीगण विक्रम, हनुमान व सन्तरा द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है, उक्त वाद औमकार पुत्र हरिया द्वारा मिन अप्राथीया अनिता के द्वारा कराये गये विधि सम्मत बयनामें को विफल करने के उदेश्य से प्रस्तुत किया है, जिस सिविल वाद से या मिन अप्रार्थीया अनिता द्वारा कराये गये बयनामा की वैधानिकता से प्रार्थीगण विक्रम, हनुमान व सन्तरा को कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, न ही प्रार्थीगण विक्रम, हनुमान व सन्तरा को मिन अप्रार्थीया अनिता द्वारा कराये गये बयनामा की वैधानिकता को प्रश्न चिन्ह करने का कोई वैधानिक अधिकार हासिल है। यह वाद मात्र प्रस्तुत तकासमा का है, जिससे समस्त सहखातेदारान आवश्यक पक्षकार होते है, प्रार्थीगण विक्रम, हनुमान व सन्तरा को विभाजन की बाबत उज्र व ऐतराज प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, जो कैसा भी उज्र या ऐंतराज प्रार्थीगण विक्रम, हनुसान व सन्तरा द्वारा आदिनाक तक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष पेश नही किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा लगातार दिनाक 06.08.2024 से कुर्रे ऐतराज बाबत अवसर प्रदान किये जा रहे है, लेकिन जानबुझकर कुर्रे ऐंतराज प्रस्तुत नही किये है, एवं मिथ्या आरोप अकित किये है। सिविल न्यायालय से जारी स्थगन मात्र रहन बैय का है, रिकार्ड की यथास्थिति बाबत कोई स्थगन आदेश नही है, एवं उक्त स्थगन आदेश की पालना कराने का अधिकार मात्र सिविल वाद के वादी औमकार को है। प्रार्थीगण विक्रम, हनुमान व सन्तरा केवल ऐंतराज दर्ज करा सकते है उक्त सिविल वाद की आड में प्रार्थीगण को विभाजन रोकने का कोई अधिकार हासिल नहीं है।

प्रार्थीगण विक्रम, हनुमान व सन्तरा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मुन्तकिल अन्तर्गत धारा 235 खारिज किया जावे।विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालयो की नजीरे कमशः आर. आर. टी–2020 (2) बन्शी बनाम बीरबल सिंह वगै0, डी. एन.जे 2023 (1) प्रहलाद बनाम रामवतार गुर्जर वगै0, डी. एन. जे 2023 (1) सुखपाल सिंह बनाम रमेश देव, आर.आर.टी. 2019 (1) रामवतार बनाम

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते खैरथल-तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा

दीनानाथ, सिविल अपील संख्या 7292/2009 (एस.सी) आर. धनासुन्दरी/आर राजेश्वरी बनाम ए. एन. उमाकान्त वगै0

प्रार्थी वकील द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ पर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा से जवाब तलब किया गया। तहत अदालत ने जर्ये पत्राक 2277 दिनाक 20.09.2024 के द्वारा बिन्दूवार जवाब पेश करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को नकारते हुयें निवेदन किया है, कि यदि वाद को सुनवाई हेतु अन्य राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो इस न्यायालय को कोई ऐंतराज/आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 116/2023 बअनुवान जसवन्त सिंह बनाम विकम सिंह वगै0 धारा अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनाक 06.04.2023 को पेश किया गया, वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जर्ये नोटिस तलब किया गया, दिनाक 08.06.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 1,2,6,7 व 3 जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते जवाब व शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत की गयी। उसके बाद एक वर्ष पश्चात दिनाक 09.07.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6, 7, 9 की ओर से जवाब पेश नही करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया व प्रतिवादीगण संख्या 3 की और से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 8, 10 बाद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, प्रकरण में अधिवक्ता को सुना गया, प्रारम्भिक डिकी जारी करते हुये कुर्र कायमी की रिपोर्ट तलब की गयी। दिनाक 06.08.2024 को तहसीलदार तिजारा द्वारा कुर्रे कायमी की रिपोर्ट पेश की गयी। दिनाक 12.08.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 3 की और से एक प्रार्थना पत्र बाबत पक्षान्तरण का पेश किया गया व वादी जसवन्त की तरफ से दावा विड्रो पेश किया, दिनाक 20.08.2024 को बहस सुनी जाकर वादी जसवन्त का प्रार्थना पत्र दावा विड्रो बाबत स्वीकार किया गया एंव प्रतिवादीगण संख्या 3 की और से पेश प्रार्थना पत्र बाबत पक्षान्तरण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 3 को वादी की जद में संयोजित करने की आज्ञा दी गयी। है। इससे स्पष्ट है, कि तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानुसार विधिवत कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी उक्त प्रकरण को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के आधार पर अनावश्यक विलम्ब करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते खैरथल–तिजारा (राज0)

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)